छत्तीसगढ़ शासन
संस्कृति विभाग
मंत्रालय,
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक – एफ–1–1/30/सं/2006 रायपुर, दिनांक जुलाई, 2006

देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार

प्रस्तावना – छत्तीसढ़ शासन संस्कृति विभाग ने छत्तीसगढ़ की लोक शैली पर आधारित प्रदर्शनकारी छत्तीसगढ़ी लोक कला के क्षेत्र में प्रतिभागियों/संस्थाओं को प्रोत्साहन देने एवं सम्मानित करने के उद्धेश्य से प्रदेश के सुप्रसिद्ध पंथी नर्तक स्व. श्री देवदास बंजारे की स्मृति में राज्य स्तरीय "देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार" देने का निर्णय लिया है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष एक व्यक्ति अथवा संस्था को दिया जाएगा।

इस पुरस्कार के विनियमन एवं प्रकिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते है–

1. संक्षिप्त नाम–1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार नियम" 2006 है।

2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे ।

2. परिभाषा :– इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

अ. "व्यक्ति/संस्था" से तात्पर्य एक व्यक्ति/संस्था से है।

ब. "निर्णायक मंडल" से अभिप्राय इन नियमों के नियम – 4 के अंतर्गत गठित किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है ।

3. पुरस्कार का स्वरूपः– प्रदेश की लोक शैली पर आधारित प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के किसी व्यक्ति/संस्था को प्रति वर्ष **"देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार"** राशि रूपये 50.00 हजार (रूपये पचास हजार) नगद एवं प्रशस्ति पत्र के रूप में दिया जावेगा । पुरस्कार, उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा ।

4. निर्णायक मंडल का गठनः- राज्य शासन, लोक शैली पर आधारित प्रदर्शनकारी कला क्षेत्र के प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञों/विशेषज्ञों का एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो सामान्यतः पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा :-

1. लोक कला एवं आंचलिक संस्कृति क्षेत्र के पांच प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञ/विशेषज्ञ - सदस्य

5. **निर्णायक मण्डल की शक्तियाँ :-**

(1) संबंधित पुरस्कार वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति/संस्था के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह पुरस्कार के उद्देश्यों के अनुरूप पाए।

(2) प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए एक व्यक्ति/संस्था का चयन होगा।

(3) निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वसम्मति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा।

(4) निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अंतिम रूप से चयनित व्यक्ति/संस्था की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

(5) पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी ।

(6) निर्णायक मंडल के आमंत्रित माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी/टैक्सी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।

6. **चयन की प्रक्रियाः-** पुरस्कार के लिए पात्र व्यक्ति/संस्था के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

(1) जिस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना है, उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा राज्य के प्रमुख समाचार-पत्रों में राज्य शासन की ओर से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर प्रविष्टियां आमंत्रित की जावेंगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियाँ विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी। विज्ञप्ति जारी करने की तिथि, समय-सीमा आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तित कर सकेगा।

(2) प्रविष्टियां आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व को प्रस्तुत की जावेगी। प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :-

क. व्यक्ति/संस्था का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ।

ख. लोक शैली पर आधारित प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में किये गये कार्यो की जानकारी।

ग. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण।

Desktop/kerketta sir/Rajyotsava/Dau_mandrahji

घ. लोक शैली पर अधारित प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण पत्र एवं उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रकाशित सामग्रियों की छायाप्रति (उपलब्धतानुसार)।

ड. *चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के संबंध में संबंधित व्यक्ति/संस्था की लिखित सहमति।*

(3) क. चयन के लिए नियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्ते लागू नहीं होंगी।

ख. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति/संस्था का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं है।

(4) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र-व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(5) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्षकार नहीं माना जाएगा।

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा-

क्रमांक	पुरस्कार हेतु व्यक्ति/संस्था का नाम तथा पता	प्रविष्टिकर्ता का नाम पद एवं पता	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5

(7) पंजीयन के पश्चात् आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जावेगी -

(1) व्यक्ति/संस्था का नाम एवं पता

(2) प्रस्तावक

(3) व्यक्ति/संस्था की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा

(4) प्राप्त पुरस्कार

(5) प्रमाण पत्र/टिप्पणियॉं

(6) पुरस्कार ग्रहण करने बावत् सहमति है/नहीं है ।

7. चयन का मानदंड :-

पुरस्कार के लिए प्रदर्शनकारी लोक शैली पर आधारित लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे :-

(1) पुरस्कार के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से लोक शैली पर आधारित प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो।

(2) निर्णायक मण्डल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के लोक कला कार्यो का मूल्यांकन होगा।

(3) पुरस्कार चूंकि लोक कला के समग्र योगदान के आधार पर दिया जाएगा इसलिए लोक कला के उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है।

(4) यह भी देखा जाएगा कि लोक कला के क्षेत्र में नयी पद्धति और नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है ।

(5) निर्णायक मण्डल के अशासकीय सदस्य के परिवार जन उस वर्ष के पुरस्कार के लिए अपनी प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, जिस वर्ष के पुरस्कार के निर्णायक मण्डल में व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति सदस्य है।

8. पुरस्कार की घोषणा :-

निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से संस्कृति विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा पुरस्कार के लिए चयनित व्यक्ति/संस्था की औपचारिक घोषणा की जावेगी ।

9. अलंकरण समारोह :-

पुरस्कार समारोह, प्रतिवर्ष संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा आयोजित राज्य के विशेष आयोजन अवसर पर अथवा अन्य उपयुक्त अवसरों पर जैसा कि राज्य शासन द्वारा यथोचित समझा जाए, आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति/संस्था प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में सम्मानित व्यक्ति अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी। पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को पुरस्कार समारोह में सम्मिलित होने के लिए वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी/टैक्सी में यात्रा करने तथा यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी ।

10. व्यय की संपूर्ति :- पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी।

11. नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :- राज्य शासन, संस्कृति विभाग को पुरस्कार नियमो में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा। इन नियमों मे अंतर्निहित प्रावधान के संद मे सचिव, संस्कृति विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी तथा ऐसे मामलों के निराकरण अधिकार भी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग को प्राप्त होंगे जिनका कि इन नियमों उल्लेख नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

19/2/06

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग